ऑन लाईन नं.GCMS2024/135

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 39 / 2024

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल — विक्रेता एवं मालिक — मै0 केसर बर्फी हाउस, 160 पी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 10.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन कमांक–प.5(01)चि.स्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 13.03.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक–आयुक्ता0/खासुऔनि /संस्था/2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2024 को 04.00 पी.एम. को मै0 केसर बर्फी हाउस, 160 पी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता एवं मालिक **राजकुमा काठपाल पुत्र श्री कश्मीरीलाल** को अपना परिचय देकर संस्थान के काउंटर फ्रीज में रखी स्टील ट्रे में खाद्य सामग्री खुली रखी हुई थी। काउंटर फ्रीज में रखी स्टील ट्रे में खाद्य सामग्री मिल्क केक(खुली) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा संस्थान के काउंटर फ्रीज में रखे **कलाकन्द मिल्क केक(खुली)** लगभग 5–6 किलो को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **मिल्क केक(खुली)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **मिल्क केक(खुली)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजकुमार काठपाल** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री राजकुमार काठपाल** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

गंगानगर।

राज्य जरिये कंवरपाल सिंह खा0सु0अधि0

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिल्क केक(खुली)** में से 2000 ग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **मिल्क केक(खुली)** का नगद भुगतान 800/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क केक(खुली)** 2000 ग्राम को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Firmilin की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लैबल तैयार कर टेप से चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2242** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2242** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजकुमार काठपाल** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./406/Act/2024/406 Dated 09-04-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2242 Unsafe Food** होना पाया गया। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच हेतु अप्रार्थी को सूचित किया गया, जिस पर विक्रेता ने रेफरल फूड लेब से जांच करवाने हेतु दिनांक 23.05.2024 को आवेदन किया। रेफरल फूड लेब से जांच हेतु आवेदन करने के पश्चात रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूने द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांक RFL/P/DO-298/24/383/2024 Dated 14-06-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2242 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल, मै. केसर बर्फी हाउस, 160 पी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ... (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

मिल्क केक(खुली) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.09.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 153 पी ब्लाक श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स केसर बर्फी हाउस दुकान नम्बर 160 पी ब्लाक श्री गगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 24/1556 दिनांक 11–9–2024 का दिया है कि आपकी दुकान मे मिलक केक की जांच की गई तो मिल्क केक सबस्टैंडर्ड फूड पाया गया है प्रार्थी ने उक्त मिल्क केक मे सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण स० 39/2024 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिल्क केक(खुली)** का सैम्पल **K-2242** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– RFL/P/DO-298/24/383/2024 Dated 14-06-2024 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त मिल्क केक मे सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण स० 39/2024 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **“Milk Cake Mithai ” bearing Code No and Sr. No. K-2242, does not conforms to the standards of Proprietary Food, as per Regulation No. 2.12.1 & Food Category System No.1.7 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be Sub- standard as per section 3 (1) (zx) of Food Safety & Standards Act 2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियक्त **राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल, मै. केसर बर्फी हाउस, 160 पी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है।

फलतः अभियुक्त **राजकुमार काठपाल पुत्र श्री कश्मीरी लाल काठपाल, मै. केसर बर्फी हाउस, 160 पी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)